



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश)
नियम-पुस्तिका
संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर
के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2025-26)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के 23 एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के 10 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के 23 एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के 10 पद का विवरण :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ावर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि)	बहरे कम सुनने वाले)	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी)	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता)
संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक	23	5	2	3	1	3	1	4	2	1	1	-	1	-	-
संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	1	-	-

- निशक्तजन के लिये संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के रिक्तियों में से 01 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिये कृपया करे www.mponline.gov.in <http://ifforms.mponline.gov.in> वेबसाईट पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	20/01/2026
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	27/01/2026
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	08/02/2026
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	09/02/2026

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-

1) पद- सहायक कार्यक्रम प्रबंधक-

संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मसिक संविदा मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक	23	32800/-	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्ण कालिक निम्न स्नातकोत्तर डिग्री:- MA in Sociology / MSc in Sociology / Master of Social Work (MSW) / MA in Social Work / M.Sc. in social work / Master of Public Health (MPH)/ M.Sc. in Public Health/ MBA in Public Health. अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक निम्न स्नातकोत्तर डिग्री- MBA in Hospital Administration /MBA in Hospital Management / MBA in Healthcare Management / MBA in Healthcare Administration कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य कार्य अनुभव(अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उपरान्त) सामाजिक अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र में शासकीय / गैर शासकीय संस्था में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट / प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का 3 वर्षों का कार्य अनुभव

2) पद- पब्लिक हेल्थ मैनेजर -

संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मसिक संविदा मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर	10	22100/-	<ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में पूर्ण कालिक स्नातक डिग्री कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य कार्य अनुभव(शैक्षणिक योग्यता उपरान्त) स्वास्थ्य क्षेत्र में शासकीय / गैर शासकीय संस्था में 2 वर्षों का कार्य अनुभव ।

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची ।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची ।
- कंडिका 2 पर अंकित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र ।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र ।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा ।)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है ।

- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वाँछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वाँछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वाँछित समस्त जानकारियों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2026.

3 *आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2026)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 एवं समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा, उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

4. मानदेय/वेतन:-

4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 32800 /-** रुपये दिया जायेगा।

- चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 22100 /-** रुपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियम:-

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 **केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।**

6. आवेदन प्रक्रिया:-

6.1 उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह

सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।
- 6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।
- 6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:-
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
- (ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।
- (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयन प्रक्रिया:-
- 7.1 **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 परीक्षा केन्द्र /शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 **उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की च्वाइस प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:-**
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
- (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम पी ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) <http://ifoms.mponline.gov.in> पर परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन अथवा एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का शार्टलिस्ट किया जाएगा।
- 7.7 कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का शार्टलिस्टिंग इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच

बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:-

- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।
- (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।

7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
10. पुरुष अभ्यर्थी / महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
12. जिसे अपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो।

8. **स्थान आवंटन:-**

8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरियताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरियता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:—**

- (क) उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
- (ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
- (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित TOR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।
- (ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:—**

10.1 **चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:—**

- (क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।
- (ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।
- (ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
- (घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
- (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र (जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (च) **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के चयन के लिए, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- (छ) सक्षम अधिकारी जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (ज) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (झ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के लिये लागू होंगे।
- (ञ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/ 1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।
- 11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल-2025 के अनुरूप होंगी।
- 12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. **परिभाषाएँ:-**
13.1 " चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है एवं चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा पब्लिक कार्यक्रम प्रबंधक** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट-1

संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक के कार्यदायित्व

- जिला अर्बन नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला स्तरीय गतिविधियों के संचालन, वार्षिक कार्ययोजना का नियोजन व निर्माण करना।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी गतिविधियां का नियोजन, प्रबंधन, कार्ययोजना निर्माण, क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों हेतु सहयोग एवं समन्वय कर शहरी आशा का चयन, प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों हेतु निर्धारित लक्ष्यों जैसे - यू.एच.एण्ड.डी, टीकाकरण, परिवार नियोजन, ए.एन.सी, महिला आरोग्य समिति का गठन एवं समय समय पर समिति की बैठक में सम्मिलित हो कर समीक्षा करना।
- संस्थाओं को आवंटित बजट के विरुद्ध संस्था द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि, समीक्षा करना।
- समस्त शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का समय-समय पर भ्रमण कर संचालित गतिविधियों की समीक्षा करना।
- शहरी क्षेत्र में संस्था स्तरीय एवं सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक निर्धारकों के सुधार हेतु समन्वय विभागो, एजेंसियों, डोनर पार्टनर्स, नीति निर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना विकसित करना।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियों - शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालन, सामुदायिक प्रक्रिया संबंधित गतिविधियों के संचालन, शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवासों के आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, आई.ई.सी. गतिविधियों आदि का प्रभावी संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण करना।
- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक प्रक्रिया हेतु विभिन्न गतिविधियों- आशा चयन एवं प्रशिक्षण, आशा का मानदेय एवं रिपोर्टिंग, महिला आरोग्य समिति का गठन एवं प्रशिक्षण आशा एवं महिला आरोग्य समितिकी मासिक बैठको का क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, यू.पी.एच.सी. एवं मास की अनाबद्ध राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों का प्रबंधन, कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग।
- शहरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्त प्रकार के प्रतिवेदन, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना।
- जिले के शहरी क्षेत्रों की समस्त संस्थाओं में क्वालिटी एश्योरेंस (Quality Assurance) संबंधित गतिविधियों जैसे मासिक के.पी.आई., नेशनल पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट एन्ट्री की समीक्षा, कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस. मापदण्ड अनुसार संस्था को विकसित करने हेतु सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदाय करना।
- राज्य कार्यालय द्वारा प्रदाय विभिन्न दिशा-निर्देश, स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी) का संस्था स्तर पर क्रियान्वयन करवाना।
- कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस. मापदण्ड अनुसार संस्था द्वारा किये गये आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण कर राज्य कार्यालय को रिपोर्टिंग करना।
- वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यदायित्व।
- समस्त शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सेवाओं हेतु संसाधन जैसे - उपकरण, दवाईया, कंजुमेबल, प्रपत्र आदि एवं मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु आवश्यक सहयोग प्रदाय करना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग द्वारा रखे जाने वाले मानव संसाधन जैसे- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी, मल्टी टास्क वर्कर / सपोर्ट स्टॉफ हेतु आउटसोर्स संस्था के चयन एवं अनुबंध हेतु समन्वय करना।
- जिले में कार्यरत पब्लिक हेल्थ मेनेजर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर/मल्टी टास्क वर्कर एवं शहरी आशाओं का प्रशिक्षण एवं समीक्षा की जाना।

शहरी स्वास्थ्य की समस्त गतिविधियों संबंधी नस्त्रियों का संचालन जिला अर्बन नोडल अधिकारी से समन्वय कर किया जाना।

संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के कार्यदायित्व

- शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं उनका पर्यवेक्षण करना ।
- कर्मचारियों (आशा/ए.एन.एम.) के कौशल/क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण में सहयोग करना ।
- आवश्यकता अनुसार ड्रग, उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु समन्वय कर उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का नियमित भ्रमण एवं सपोर्टिव सुपरविजन करना ।
- स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु आशा और समुदाय की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं हेतु क्षेत्र की पहचान करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदाय करना ।
- समुदाय के बीच आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान कर संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय करना ।
- समुदाय के बीच उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आई.ई.सी. करना ।
- शहरी क्षेत्रों में शहरी आशाओं के चयन, महिला आरोग्य समिति के गठन एवं समुदायिक स्तर की संरचनाओं के गठन में सहयोग करना ।
- अन्य शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के सहयोग करना ।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित समस्त प्रकार के प्रतिवेदन, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट आदि निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने में सहयोग प्रदान करना ।
- जिले के शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में क्वालिटी इन्श्योरेंस संबंधित गतिविधियों जैसे कायाकल्प एवं एन.क्यू.एस मापदण्ड अनुसार संस्थाओं का समन्वय विभाग के सहयोग से विकसित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- मातृ स्वास्थ्य सेवायें जैसे ए.एन.सी., पी.एन.सी. आदि सेवाओं की स्वास्थ्य संस्थाओं/सामुदाय में उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शहरी पोषण दिवस के सत्रों के आयोजन एवं मॉनीटरिंग में सहयोग प्रदान करना ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं समुदाय से मरीजों के रेफरल हेतु समन्वय/ सुविधा उपलब्ध कराना।
- शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले मरीजों हेतु लैब सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हब एण्ड स्पॉक मॉडल लागू करवाना।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं पर स्पेशलिस्ट ऑन कॉल की सेवाओं का लाभ लेने हेतु मरीजों/ हितग्राहियों को जागरूक करना तथा सुचारू स्पेशलिस्ट ऑन कॉल की सेवाओं हेतु समन्वय करना ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता एवं उन्नयन के कार्य हेतु समय-समय पर सहयोग प्रदाय करना ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यरत स्टॉफ एवं समुदाय में कार्यरत स्टॉफ (ए.एन.एम व आशा) से समन्वय कर संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के संचालन में सहयोग करना ।
- राज्य एवं जिला वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य शहरी क्षेत्र के कार्यदायित्व का संपादन करना।

परिशिष्ट-3

संविदा सहायक कार्यक्रम प्रबंधक रिक्त पद

SNO	NAME OF DISTRICT	VACANT
1	AGAR MALWA	1
2	RATLAM	1
3	MANDSAUR	1
4	NEEMUCH	1
5	BURHANPUR	1
6	KHARGONE	1
7	BETUL	1
8	HARDA	1
9	HOSHANGABAD	1
10	RAJGARH	1
11	RAISEN	1
12	ASHOK NAGAR	1
13	BHIND	1
14	SHEOPUR	1
15	SHIVPURI	1
16	DAMOH	1
17	PANNA	1
18	SEONI	1
19	MANDLA	1
20	NARSINGHPUR	1
21	REWA	1
22	SIDHI	1
23	UMARIA	1
	TOTAL	23

परिशिष्ट-4

संविदा पब्लिक हेल्थ मैनेजर के रिक्त पद

S. NO.	NAME OF DISTRICT	VACANT POST
1	BHOPAL	3
2	INDORE	2
3	JABALPUR	2
4	GWALIOR	2
5	SAGAR	1
Total		10